



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14610

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45342/2025

कमला सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: जय सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत नायब तहसीलदार, हरैया, तहसील-सगड़ी, जिला आजमगढ़/प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देने के लिए है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 34 के अंतर्गत वाद संख्या 5806/2022 (कंप्यूटरिकृत वाद संख्या टी2022150605806) (कमला सिंह बनाम जहाँगीर) को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-
"(7). तहसीलदार नामांतरण के अविवादित मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामांतरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।"
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि हालांकि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को तहसीलदार, बांसगांव, जिला गोरखपुर को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वाद को तय करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"